

# नगर पार्षद, भिवाडी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BHIWADI/FIRENOC/2023-24/26849  
जारी दिनांक: 22-FEB-2024

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: ANAND PARSHAD SURAJ SCHOOL  
आवेदक का पता: TAPUKARA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत  
आपके भवन SURAJ SCHOOL, VILLAGEKARAMPURATEHTAPUKARADIST KHIRTHALTIJARA,  
TAPUKARA, TAPUKARA, TIJARA, KHAIRTHAL-TIJARA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण  
के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न  
शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4 में होने वाले संशोधनों की पालना करना अनिवार्य होगा।
2. उक्त एनओसी किसी भी भूमि संबंधित विवाद हेतु मान्य नहीं होगी।
3. किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उक्त स्थल के अन्दर न की जायें।
4. समय- समय पर अग्निशमन यंत्र का रख-रखाव किया जायेगा।
5. किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन या परिसर में नहीं रखी जावेगी।
6. अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव में कमी एवं औचक निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
7. किसी भी प्रकार की लूज विद्युत फिटिंग नहीं होनी चाहिए।
8. आपके स्थाई कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण आपके स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
9. किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा ना की जिला प्रशासन खैरथल-तिजारा/नगर परिषद भिवाडी प्रशासन होगा।
10. प्रत्येक 6 माह में फायर एक्सपर्ट मॉक ड्रिल करवाना अनिवार्य है जिसकी सूचना नगर परिषद भिवाडी को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है एवं मॉक ड्रिल के नगर परिषद भिवाडी के अधिकारी का खर्चा आपके द्वारा वहन किया जावेगा।
11. फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अन्यथा 5000 रुपये फैनल्टी के तौर पर देय होंगे।
12. किसी भी प्रकार का नगर परिषद भिवाडी कर बकाया होने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
13. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा।
14. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलोरीटि गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
15. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
16. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
17. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
18. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
19. भवन का मुख्य/अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशां पत्र निरस्त माना जाएगा।



Signed by: Naresh Kumar Meena  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: BHIWADI, Rajasthan  
Date: 22/02/2024 18:54:52

अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद, भिवाडी